नकल मुकदमा 161/2024
उनवान महेन्द्र कुमार बनाम कंवलजीत कौर वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
प्रकरण :– सिविल प्रकरण संख्या 161/2024

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल, जाति जाट, निवासी गली नम्बर 2, ... चौक, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

–: बनाम :–

1. कंवलजीतकौर पत्नी दर्शन सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 15 एल. एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्री गंगानगर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र जिन्द सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 15 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्री गंगानगर।
3. हरजिन्दरसिंह पुत्र जिन्द सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 15 एल. एन.पी. प्रथम, तहसील व जिला श्री गंगानगर
4. सुखजसपाल सिंह पुत्र जिन्द सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 15 एल. एन. पी. प्रथम तहसील व जिला श्री गंगानगर।
5. गुरप्रीत सिंह पुत्र अमरिन्दरसिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 15 एल. एन. पी. प्रथम तहसील व जिला श्री गंगानगर
6. परमजीत कौर पुत्री अमरिन्दरसिंह, जाति जटसिख, निवासी 15 एल.एन.पी. प्रथम,
7. तहसील व जिला श्री गंगानगर
8. सुखविन्दरकौर पत्नी अमरिन्दरसिंह, जाति जटसिख, निवासी 15 एल.एन.पी. प्रथम, तहसील व जिला श्री गंगानगर
9. राजाराम पुत्र बलवीर, जाति जाट निवासी ..., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्री गंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री शुभम प्रकाश	— —	प्रार्थीगण
2. श्री तेजा सिंह	— —	अप्रार्थी 1 ता 7

–: आदेश :–

दिनांक :– 03.02.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि चक 15 एल. एन.पी. (प्रथम), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 02/13 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 3 ता 8 व किला नम्बर 13/1 ता 15 में कुल 1.974 तथा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 15 व कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय खाता अर्थात उक्त खाते में दर्ज दोनों मुरब्बों में कुल 5.137 हैक्टेयर नहरी मय खाता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 3/43 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 6 ता 14, 17 ता 24, मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 2/2, 3/3, 14 ता 25, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 ता 20, 23 ता 25,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3 ता 25, मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 22.542 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम भिन्न–भिन्न हिस्सो में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 7 के नाम इसी चक के पृथक खाता संख्या 57/02 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 16 ता 25 में कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी मय गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 15 एल.एन.पी (प्रथम), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/18 मुरब्बा नम्बर 19 व 20 की कुल 5.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 2–2 बीस्वा चौडाई में, जो की मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ते से जोडता है, तथा मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व 16 में पूर्वी दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 2–2 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 9 को आदेशित किया जावे। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो प्रार्थी के पक्ष मे हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार आवेदन–पत्र की चरण संख्या 3 में अप्रार्थी की भूमि 1 ता 7 का विवरण दिया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 7 का पृथक खाता संख्या 57/2 मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 है0 नहरी भूमि विवरण दिया है व खाता संख्या 9/47 मुरब्बा नम्बर 17, 18, 25, 26, 27 कुल 22.542 है0 नहरी भूमि मुश्तर्का खाते में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के कब्जे में है। जिस प्रकार से पैरा संख्या 4 में तथ्य दर्ज किये है वह अस्वीकार है। प्रार्थी अपना मुरब्बा नम्बर 19 व 20 की कृषि भूमि में मुरब्बा नम्बर 18 के पश्चिमी दिशा में व किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी दिशा में नहर की पटरी के साथ सार्वजनिक रास्ते से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिण में संचालित रास्ते से व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2–8 बिस्वा स्वीकृत रास्ते से होते हुए इसी मुरब्बा के किला नम्बर 25 व 16 के पूर्वी दिशा में 2–2 बिस्वा उतर दिशा की ओर संचालित रास्ते के आवागमन पर मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15 में प्रवेश कर मुरब्बा नम्बर 19 व 20 की कृषि भूमि में प्रवेश कर कार्य करता आ रहा है जो कथन दर्ज किया है वह मिथ्या है वह मनगढन्त है प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 में जिस प्रकार तथ्य दर्ज किये है अस्वीकार है। प्रार्थी को अन्य विकल्प में रास्ता है एक सार्वजनिक रास्ता गांव से आता है उसी रास्ते से प्रार्थी आते–जाते रहे है। इससे पूर्व भी प्रार्थी ने निवेदन पत्र रास्ता बाबत दिया था जिसका प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर, राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर व राजस्व मण्डल, अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में चला था जो प्रार्थी की मांग को खारिज कर दिया था अब दुबारा मांग नहीं कर सकता इसलिए आवेदन–पत्र काबिले खारिजी है। आवेदन–पत्र की चरण संख्या 6 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थीगण को कभी प्रार्थी नहीं मिला। आवेदन पत्र में यह कहीं नहीं अंकित है कि प्रार्थी को अप्राथी कहां मिला, कौनसी तारीख को मिला, कब इन्कार किया। प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नहीं है। इसलिए आवेदन पत्र काबिले खारिजी है। प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित किया है कि वह अपनी भूमि में जाने के लिए नहर की पटरी से सार्वजनिक रास्ते से होते हुआ प्रवेश करता है जबकि नहर की पटरी के साथ कोई कोई गैरमुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है। केवल नहर के साथ जो पटरी है वह सार्वजनिक रास्ते के साथ में उपयोग में नहीं ली जा सकती वह केवल नहरी विभाग का व्यक्तिगत नहर को प्रोटेक्शन करने के लिए पटड़ा बनाया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हुआ है इसलिए आवेदन पत्र अपरिपक्व होने के कारण काबिले खारिजी है। पैरा संख्या 7 में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के बारे में लिया है जो कानूनी है बरवक्त तथ्य बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चक 15 एल एन पी प्रथम खाता संख्या 2/18 के मुरब्बा नम्बर 19 व 20 के लिए जो आवागमन करने के लिए जो रास्ते की मांग मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 2–2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नंबर 21 ता 25 में जो रास्ते की मांग की है व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व 16 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कराने की मांग की है वह मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। **वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता का अभाव है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 15 एल.एन.पी (प्रथम), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/18 मुरब्बा नम्बर 19 व 20 की कुल 5.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 2– 2 बीस्वा चौडाई में, जो की मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ते से जोडता है तथा मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व 16 में पूर्वी दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 2–2 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। **वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थी को अन्य विकल्प में रास्ता है एक सार्वजनिक रास्ता गांव से आता है उसी रास्ते से प्रार्थी आते–जाते रहे है। आवेदन पत्र में यह कहीं नहीं अंकित है कि प्रार्थी को अप्राथी कहां मिला, कौनसी तारीख को मिला, कब इन्कार किया। प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नहीं है। इसलिए आवेदन पत्र काबिले खारिजी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चक 15 एल एन पी प्रथम खाता संख्या 2/18 के मुरब्बा नम्बर 19 व 20 के लिए जो आवागमन करने के लिए जो रास्ते की मांग मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 2–2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नंबर 21 ता 25 में जो रास्ते की मांग की है व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व 16 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कराने की मांग की है वह मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। प्रार्थीगण को उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी की कृषि भूमि चक 15 एल.एन.पी (प्रथम), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/18 मुरब्बा नम्बर 19 व 20 की कुल 5.137 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 2–2 बीस्वा चौडाई में, जो की मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ते से जोडता है, तथा मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व 16 में पूर्वी दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 2–2 बीस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. ा दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना निश्चित करे एवम् मुरबा नम्बन 18 के किला नम्बर 21 में निर्मित कमरा का मूल्यांकन पी. ब्ल्यू.डी. से करवा कर प्रतिकर राशि जमा करवावे व जिस व्यक्ति विशेष को कमरा का आवजा अदा किया जाना है उसे अपने स्तर से प्रदान करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 03.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner